न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/261/2018

उनवान

1. खाना पुत्र हजारी खाती निवासी उम्मेदनगर, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. भोलूदास पुत्र रामचन्द्रदास वैष्णव निवासी उम्मेदनगर, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. बंशी पुत्र हजारी खाती निवासी उम्मेदनगर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. श्रीमती भूरी पत्नी हजारी खाती निवासी उम्मेदनगर, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा, जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 481/2016 निर्णय दिनांक 25.4.2017

अधिवक्तागण :-

1. श्री सुनिल पारीक , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री गोपाल अजमेरा ,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 29.5.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की कृषि आराजियात ग्राम उम्मेदनगर पटवार हल्का करमडास तहसील शाहपुरा में आराजी नम्बर 227 रकबा 0.26 हे0, आराजी नम्बर 228 रकबा 0.08 हे0, आराजी नम्बर 229 रकबा 0.27 हे0, आराजी नम्बर 230 रकबा 0.16 हे0, आराजी नम्बर 233 रकबा 0.31 हे0, आराजी नम्बर 234 रकबा 1.36 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.44 हे0 स्थित है। उक्त आराजियात प्रार्थी कई वर्षो से काश्त करता आ रहा है व सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी के ही उपयोग उपभोग में चली आ रही है। उक्त भूमि में गत वर्ष प्रार्थी ने उडद व मक्की की फसल काश्त की थी। उक्त आराजी पर आने जाने हेतु एवं फसल काश्त करने हेतु ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु आराजी नम्बर 218 की पूर्वी भुजा एवं आराजी नम्बर 219 की पश्चिमी भुजा यानि कि 218 एवं 219 के मध्य स्थित मेड से होकर कई वर्षो से आता जाता रहा है और फसल काश्त करता रहा है। आराजी नम्बर 218 व 219 के खातेदार काश्तकार विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 हैं तथा प्रार्थी की स्वयं की आराजी के अलावा चारभुजानाथ की डोली जिसके आराजी नम्बर 226 हैं उस पर भी आने जाने हेतु भी प्रार्थी कई वर्षो से उक्त वर्णित रास्ते का ही उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है एवं उक्त रास्ता मौके परकरीब 20 फिट चौडा है। लेकिन रास्ता राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अभिलिखित नहीं है । इसलिए प्रार्थी राजस्व रेकार्ड आराजी नम्बर 218 एवं 219 के मध्य स्थित 20 फिट चौडे रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कराना चाहता है । विपक्षीगणों ने करीब 20 दिन पूर्व प्रार्थी से रंजिश रखने के कारण उक्त रास्ते को बन्द कर दिया और मिट्टी का डोल लगाकर कांटों की छडियाँ लगा दी। जिससे प्रार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपनी आराजी में नहीं आ जा पा रहा है और फसल काश्त नहीं कर पा रहा है एवं बरसात का समय हो गया है और उक्त रास्ता बाधित होने से फसल काश्त नहीं कर पायेगा । इसलिए भी रास्ता खुलासा कराया जाकर रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड में किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण की आराजी नम्बर 218 व 219 के मध्य होकर जाने वाले रास्ते के अलावा स्वयं की आराजी में जाने का अन्य कोई विकल्प नहीं है। मौके पर रास्ता जो कि आराजी नम्बर 218 व 219 के मध्य में है जिसे प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना चाहता है जिसके लिए आवश्यक शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थी के कब्जे की कृषि आराजी नम्बर 227, 228, 229, 230, 234 जो कि ग्राम उम्मेदनगर में स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजी में आने–जाने बाबत उपलब्ध एकमात्र रास्ता आराजी नम्बर 218 व 219 के मध्य स्थित 20 फिट चौडे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने व नया रास्ता कायम कराने का आदेश प्रदान करावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। दिनांक 15.7.2018 को प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी की भूमि में जबरन रास्ता निकालने की धमकी दी व न्यायालय से रास्ते का आदेश ले लेने की बात कही जिस पर अपीलार्थी ने जांच पडताल कर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कया । दिनांक 18.7.2018

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

को अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/विपक्षी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन/नोटिस की प्रोपर तामील नहीं हुई थी । तामील कुलिन्दा की रिपोर्ट भी अदम तामील पृष्ठांकन के साथ पेश हुई थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने तामील मानकर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश से रास्ता खोलने का आदेश दिया है । जबकि प्रत्यर्थी/प्रार्थी द्वारा कोई रास्ता खुलासा करने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण से परे जाकर अनुतोष दिया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार के मौका पर्चा को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । मौका पर्चा में अंकित किया गया है कि ''राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे एवं स्थल निरीक्षण करने पर प्रतिवादियों की आराजी संख्या 210 में डॉट लाईन से रास्ता प्रदर्शित है, किन्तु प्रतिवादी आराजी नम्बर 210 में से कभी रास्ता नहीं निकलने से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है'' इस रिपोर्ट के पृष्ठ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भाग में नजरी नक्शे में इस आराजी नम्बर का न तो अंकन ही है एवं न ही यह आराजी नम्बर 210 दर्शाया गया है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तहसीलदार महोदय के नजरी नक्शा व मौका रिपोर्ट में प्रत्यर्थी संख्या 1 की आराजी मे आने–जाने का वैकल्पिक रास्ता आराजी नम्बर 279 व 278, 279 से होकर निकलने का कथन किया है व प्रार्थी/प्रत्यर्थी इसी रास्ते से अपनी आराजी पर आ जा रहे हैं। वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए भी उसे नहीं मानने में भारी भूल की है व अपीलार्थी की आराजी नम्बर 217 व 218 के मध्य केवल पाली (कदीमी रास्ता लगभग 3 फिट का होकर दोनों आराजियात परस्पर एक ही चक में काश्त कर उपयोग उपभोग की जा रही है , जिस पर सुविधा की दृष्टि से वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए भी रास्ता खुलवाने का प्रत्यर्थी संख्या 1 का कोई विधिक अधिकार नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का गलत तरीके से विवेचन कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी भूल की है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मामले में प्रत्यर्थी तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि '' इस प्रकार मौके पर वादीगण की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु अन्य खातेदारो की भूमि में से वैकल्पिक रास्ता बना हुआ है, जिसमें से वादीगण मौके पर आ जा रहे हैं । '' इस प्रकार पत्रावली में स्पष्ट रूप से प्रार्थी अपनी आराजी पर आने जाने का रास्ता होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के अनुतोष से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो खारिज योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 3 सोहन लाल की मृत्यु होने के उपरान्त उनके वारिसान को पक्षकार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संयोजित नहीं किया गया था। साथ ही यह भी निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को कोई आपत्ति नहीं है। उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने क स्थिति में डी एल सी दर से दुगुनी राशि जमा कराने एवं राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। अपीलाधीन प्रकरण में इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जावे।

12. प्रत्यर्थी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 उपस्थित ।

13. अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

14. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

15. अपीलार्थी का निवेदन है कि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की प्रोपर तामील नहीं हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नोटिस का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी/विपक्षी को अधीनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा दिनांक 22.7.2016 को हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसकी पुश्त पर बंशी के हस्ताक्षर है। तामील कुनिन्दा द्वारा बशी नामक व्यक्ति को नोटिस की तामील कराई है। जो कि अपीलार्थी/विपक्षी का भाई है। परन्तु अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का उसके भाई से मनमुटाव है। उसके भाई द्वारा नोटिस की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/विपक्षी उपस्थित नहीं हुआ था एवं उसे सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला था। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि अपीलार्थी को पुनः नोटिस जारी किया जाता एवं प्रोपर तामील होने के उपरान्त भी यदि अपीलार्थी/विपक्षी नहीं आता ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जाना होता है। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिलना स्पष्ट तौर पर साबित होता है।

16. अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जेकाश्त की कृषि आराजियात ग्राम उम्मेदनगर पटवार हल्का करमडास तहसील शाहपुरा में आराजी नम्बर 227 रकबा 0.26 हे0, आराजी नम्बर 228 रकबा 0.08 हे0, आराजी नम्बर 229 रकबा 0.27 हे0, आराजी नम्बर 230 रकबा 0.16 हे0, आराजी नम्बर 233 रकबा 0.31 हे0, आराजी नम्बर 234 रकबा 1.36 हे0 कुल किता 6 कुल रकबा 2.44 हे0 स्थित है जिसमें आने जाने हेतु एवं फसल काश्त करने हेतु ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु आराजी नम्बर 218 की पूर्वी भुजा एवं आराजी नम्बर 219 की पश्चिमी भुजा यानि कि 218 एवं 219 के मध्य स्थित मेड से

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

होकर कई वर्षो से आता जाता रहा है और फसल काश्त करता रहा है। आराजी नम्बर 218 व 219 के खातेदार काश्तकार विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 हैं तथा प्रार्थी की स्वयं की आराजी के अलावा चारभुजानाथ की डोली जिसके आराजी नम्बर 226 हैं उस पर भी आने जाने हेतु भी प्रार्थी कई वर्षो से उक्त वर्णित रास्ते का ही उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है एवं उक्त रास्ता मौके परकरीब 20 फिट चौडा है। लेकिन रास्ता राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में अभिलिखित नहीं है । इसलिए प्रार्थी राजस्व रेकार्ड आराजी नम्बर 218 एवं 219 के मध्य स्थित 20 फिट चौडे रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कराना चाहता है । विपक्षीगणों ने करीब 20 दिन पूर्व प्रार्थी से रंजिश रखने के कारण उक्त रास्ते को बन्द कर दिया और मिट्टी का डोल लगाकर कांटों की छडियॉ लगा दी। जिससे प्रार्थी अपनी आराजी में नहीं आ जा पा रहा है और फसल काश्त नहीं कर पा रहा है एवं बरसात का समय हो गया है और उक्त रास्ता बाधित होने से फसल काश्त नहीं कर पायेगा । इसलिए भी रास्ता खुलासा कराया जाकर रास्ते का अंकन राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराया जावे।

17. प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करवाये जाने का निवेदन किया गया था। जबकि अपीलाधीन आदेश चाहे गये अनुतोष से परे जाकर रास्ता खुलासा करने का पारित किया गया है । जो धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जारी नहीं कर धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिभाषा में आता है। जिसे विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है।

18. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार शाहपुरा से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई थी। जिस पर तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्रांक /प्र0सं0 481/16/राजस्व/17/520 दिनांक 21.3.2017 द्वारा मौका रिपोर्ट भिजवाई गई है। उक्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रिपोर्ट के पेरा नम्बर 4 में यह तथ्य अंकित किया गया है कि '' यह है कि वादीगण की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु उपरोक्त रास्ते को विपक्षीगणों द्वारा वर्तमान में मिट्टी की डोल एवं कांटो की बाड लगाकर बंद कर रखा है । वर्तमान में वादीगण व अन्य खातेदार चतर सिंह पिता शांती लाल खारीवाल निवासी बडा महुआ तहसल भीलवाडा की खातेदारी की आराजी संख्या 277, 278, 289 में से निकलने वाले रास्ते में से होकर आता जाता है व अपनी कृषि भूमि को काश्त कर रहा है। इस रास्ते पर प्रार्थी की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु वर्तमान में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। '' इस प्रकार तहसीलदार शाहपुरा ने स्वयं प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होने का कथन अंकित किया है। इसी रिपोर्ट के पेरा संख्या 7 के उपरान्त आगे वाले पेरा के अंत में अंकित किया है कि '' उक्त रास्ते को बंद कर दिये जाने से वादीगण अन्य खातेदार की कृषि भूमि में से निकलने वाले रास्ते में से होकर अपनी कृषि भूमि को काश्त कर रहा है । इस प्रकार मौके पर वादीगण की कृषि भूमि पर आने जाने हेतु अन्य खातेदारों की भूमि में से वैकल्पिक रास्ता बना हुआ है। जिसमें से वादीगण मौके पर आ जा रहे हैं।'' स्वयं तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने का कथन अंकित किया है। उक्ता मौका रिर्पोट की पुश्त पर जो नक्शा दर्शाया गया है उसमें भी प्रत्यर्थी/प्रार्थी की आराजियात पर आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते को दर्शाया गया है।

19. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय को समरी इन्क्वायरी करनी चाहिये थी । जिससे यह तथ्य स्पष्ट हो सके कि प्रार्थी के पास अपनी आराजी पर आने–जाने हेतु उसके द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं । धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनिनयम के तहत रास्ता उपलब्ध कराने के लिए आत्यंतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने का बिन्दु प्रमाणित होना आवश्यक है। अपीलाधीन प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा में आत्यंतिक आवश्यक होने का कथन अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है एवं प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने का कथन भी अपनी रिपोर्ट में किया है।

20. अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व स्पष्ट समरी इन्क्वायरी नहीं करवाई गई है। आत्यंतिक आवश्यकता के बिन्दु पर भी कोई विचारण नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमें प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष से परे जाकर अनुतोष प्रदान किया गया है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षीगण की आराजी नम्बर 217 व 219 में स्थित कदमी रास्ते को खुलासा किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये हैं, जो नया रास्ता दर्ज करने अथवा रास्ते को चौडा करने की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत माना जा कर अपीलाधीन आदेश का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

21. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम , 1955 के साथ–'साथ राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68, 69, 70 का भी अवलोकन किया गया । अतः बाद मनन विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

22. अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

23. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.4.2017 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर उपरोक्त आब्जर्वेशन के आधार पर 3 माह के भीतर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 3.7.19 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों।

24. निर्णय आज दिनांक 29.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

29/5/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी,
भीलवाड़ा